

प्रेषक ..

शिव कुमार सिंह,  
अपर सत्र न्यायाधीश | फारस्ट ट्रैक कोर्ट।  
श्रावस्ती।

सेवा में,

माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय,  
श्रावस्ती।

विषय—

पुलिस अधीक्षक, श्रावस्ती के पत्र दिनांकित 13.08.2018 पर मांगी  
गयी आख्या के सम्बन्ध में।

महोदय,

ससम्मान निवेदन है कि पुलिस अधीक्षक, श्रावस्ती के द्वारा प्रेषित उपरोक्त पत्र में जिन तथ्यों का उल्लेख किया गया है वह पूर्णतया निराधार हैं दर्योंकि किसी भी पत्रावली में यदि न्यायालय के द्वारा कोई आदेश परित किया जाता है तो उसके समर्थन में युक्तियुक्त आधार दर्शित किया जाता है। पुलिस अधीक्षक श्रावस्ती के द्वारा प्रस्तुत पत्र स्वयं विवेचक के द्वारा पुलिस अधीक्षक को दी गयी अपनी आख्या दिनांक 04.06.2018 से ही खण्डित हो जाता है क्योंकि दिनांक 04.06.2018 को पुलिस अधीक्षक को प्रेषित रिपोर्ट में विवेचक ने कथित घिनौना आरोप का खुलासा नहीं किया है। उक्त रिपोर्ट देने के लगभग डेढ़ माह बाद झूठा आरोप लगाते हुये सोच विचार कर न्यायालय पर तथ्यों के विपरीत एस0पी0 को पत्र दिया है, जो अत्यन्त निन्दनीय है। विवेचक के द्वारा पुलिस अधीक्षक को दी गयी आख्या दिनांकित 04.06.2018 प्रदर्श क-1 के रूप में संलग्न किया जा रहा है।

मुकदमा अपराध संख्या 1745 / 2017 अन्तर्गत धारा 363,366 भा0द0स0 व धारा 8 पाक्सो एक्ट में विवेचक के द्वारा दौरान दिवेचना गिरफतारी अधिपत्र जारी करने हेतु आवेदन न्यायालय के समक्ष सर्व प्रथम दिनांक 25.10.2017 को प्रस्तुत किया गया था जिसे ए0डी0जी0सी0 ने सम्बिट किया था, जो प्रदर्श क-2 के रूप में संलग्न किया जा रहा है। उक्त प्रार्थनापत्र के समर्थन में जो शपथपत्र विवेचक ने न्यायालय में प्रस्तुत किया वह शपथपत्र न्यायालय में गिरफतारी अधिपत्र जारी करने हेतु प्रस्तुत प्रार्थनापत्र के एक माह पूर्व ही तैयार कराया गया था, जो प्रदर्श क-3 है। इस प्रकार यदि विवेचक को इतनी ही अर्जन्सी थी तो जब उसने दिनांक 22.09.2017 को ही शपथपत्र बनवाया तो उसके एक माह बाद न्यायालय में अभियुक्त के विरुद्ध गिरफतारी अधिपत्र जारी करने हेतु आवेदन क्यों प्रस्तुत किया इसका कोई समुचित जवाब विवेचक के द्वारा नहीं दिया गया। वही विवेचक ने अपने शपथपत्र के पैरा -2 में यह कथन किया कि अभियुक्त अर्जुन पुत्र फौजदार व अपहृता नीतू पुत्री भुजऊ एक साथ ग्राम बनकटी, जिला बाकें, भेरी अंचल राज्य नेपाल में रह रहे हैं। विवेचक स्वयं अभियुक्त एवं अपहृता दोनों से मिल करके आया है। जब विवेचक स्वयं अभियुक्त एवं अपहृता दोनों से मिलकर आ रहा है और अपने मोबाइल में दोनों की फोटो खीचकर न्यायालय में दिखलाया है तो ऐसी स्थिति में वह थाना सोनडां में स्थित अपनी चल व अचल सम्पत्ति को कैसे खुर्द बुर्द कर सकता है। जब विवेचक अभियुक्त से मिल रहा है उसकी फोटो खीच रहा है तो उसे पकड़ क्यों नहीं रहा था। शपथपत्र में उल्लिखित उपरोक्त तथ्यों के आलोक में विवेचक के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र दिनांकित 25.10.2017 को आदेशार्थ रिजर्व किया गया और दिनांक 01.11.2017 को विधि

सम्मत आदेश पारित करते हुये उसके प्रार्थनापत्र को निराधार पाते हुये निरस्त कर दिया गया।

चूंकि विवेचक के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र दिनांकित 01.11.2017 को ही निरस्त कर दिया गया था उसके पश्चात न तो विवेचक के द्वारा न्यायालय के इस आदेश को चेलेन्ज किया गया और न ही अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया क्योंकि विवेचक रवयं अभियुक्त से मिला हुआ था वह समय समय पर उससे जाकर मिलता था अपहृत से भी जाकर मिलता था आरोप पत्र दाखिल न करने का अन्यथा कारणों से उसे आश्वासन देता था तभी तो उसने न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 01.11.2017 से लेकर दिनांक 22.05.2018 तक लगभग 7 माह व्यतीत हो जाने के बाद न्यायालय में पुनः दूसरा आवेदन प्रस्तुत करने के सिवाय कोई कार्यवाही नहीं किया। संझेय अपराध में विवेचक अभियुक्त को न्यायालय के आदेश के बिना भी गिरफ्तार करके के लिये अधिकृत होता है। दिनांक 22.05.2018 को प्रस्तुत प्रार्थनापत्र के समर्थन में जो शपथपत्र विवेचक ने प्रस्तुत किया है वह शपथपत्र भी प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने के लगभग एक सप्ताह पूर्व ही तैयार करा चुका था उसका ऐसा कृत्य भी उसके लापरवाहीपूर्ण कृत्य को उद्घाटित करता है जो कमर्श प्रदर्श -4 व प्रदर्श क-5 है।

विवेचक के द्वारा दूसरा प्रार्थनापत्र दिनांक 22.05.2018 को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया उसे आदेशार्थ रिजर्व किया गया और दिनांक 31.05.2018 को समुचित आदेश पारित कर दिया गया। उपरोक्त उल्लिखित तथ्यों के आलोक में पुलिस अधीक्षक, श्रावस्ती के द्वारा प्रेषित पत्र दिनांकित 13.08.2018 कथित उपनिरीक्षक के द्वारा लगाये गये आरोप स्वयं को बचाने के लिये तथा समय के अन्तर्गत विवेचना पूरी न करने से बचने के लिये एक काल्पनिक एवं धिनौना आरोप न्यायालय पर लगा दिया है।


चूंकि न्यायालय में गैगेस्टर एकट, पाक्सो एकट, इ.सी. एकट आदि से सम्बन्धित मामलों में आये दिन सम्बन्धित विवेचकों के द्वारा आवेदन किये जाते हैं और उन पर यथा सम्बव एवं यथाशीघ्र विधि अनुसार आदेश पारित किये जाते रहे हैं। कभी भी किसी भी विवेचक के द्वारा ऐसी कोई बात नहीं कहीं गयी है।

उपरोक्त मामले में विवेचक के द्वारा अपनी कमियों को छुपाने के लिये तथा स्वयं को बचाने के लिये न्यायालय पर जो आरोप लगाया है वह झूठा, निराधार काल्पनिक व निन्दनीय है। यदि ऐसा था तो न्यायालय के द्वारा एन०बी०डब्ल० जारी किये भी 3 माह का समय हो रहा है, आज तक अभियुक्त के विरुद्ध आरोपपत्र क्यों नहीं न्यायालय में प्रेषित किया गया यह भी विचारणीय है। विवेचक द्वारा दिया गया प्रार्थनापत्र, शपथपत्र, पुलिस अधीक्षक, श्रावस्ती को विवेचक द्वारा प्रेषित आख्या की छायाप्रति एवं पारित आदेश की प्रतियां संलग्न की जा रही हैं।

आख्या माननीय महोदय की सेवा में सादर प्रेषित है।

दिनांक 18.08.2018

संलग्नक-यथोक्त।

  
श्रीविनोद सिंह, छाप॑/१४.  
अपर सत्र न्यायाधीश / फास्ट ट्रैक कोर्ट,  
श्रावस्ती।

प्रेपकः— पुलिस अधीक्षक  
श्रावस्ती।

सेचा में,

जनपद न्यायाधीश,  
श्रावस्ती।

संख्या: एसटी/सी-36/2018/531

दिनांक 12 अगस्त 2018

कृपया अवगत कराना है कि मेरे द्वारा थाना सोनवा में विवेचनाओं की समीक्षा के दौरान जानकारी की गई कि मुल्जिम हाजिर न होने पर उनके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही क्यों नहीं की जा रही है, जैसे—कुर्की क्यों नहीं की जा रही है, तो 00नि0 राम प्रवेश यादव द्वारा अवगत कराया गया कि कुर्की अथवा वारण्ट के आदेश देने के एवज में अपर जिला एवं रात्र न्यायाधीश, श्री एस0के0 सिंह द्वारा एन्ड्राएड फोन नोकिया-8 की मांग की गई, जिसे देने में मैं असमर्थ था। अतः अभियुक्त के विरुद्ध कार्यवाही में विलम्ब हुआ।

अतः अनुरोध है कि इस प्रकरण में आप अपने स्तर से उचित कार्यवही करें। मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा अपने हस्तलेख में लिखा हुआ एन्ड्राएड फोन नोकिया-8 की छायाप्रति व 00नि0 द्वारा दिया गया प्रार्थना पत्र की छायाप्रति संलग्न है।

*h/13 8-12*  
(अशोक कुमार)  
पुलिस अधीक्षक  
श्रावस्ती।

प्रतिलिपि:-

1—प्रशासनिक जज उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ को अग्रिम प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

*Pr. Veto'd  
by Ashok Kumar  
14/8/18.*

*call for report from officer  
concerned within 5 days.*

*DR  
16.8.2018*